



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 166]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 24, 2009/चैत्र 3, 1931

No. 166]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 24, 2009/CHAITRA 3, 1931

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2009

सा.का.नि. 188(अ).—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) और (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

- (1) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) संशोधन विनियमावली, 2009 है ।
- (2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में :
 - (i) “आंध्र प्रदेश” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व मदों और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्त कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”

- (ii) “अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और संघ राज्य क्षेत्र” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व मर्दों और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्त कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”

- (iii) - “आसाम-मेघालय” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व मर्दों और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्त कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”

- (iv) “बिहार” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व मर्दों और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”

- (v) “छत्तीसगढ़” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व मदों और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“ केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”

- (vi) “गुजरात” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व मदों और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“ केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”

- (vii) “हरियाणा” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व मदों और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।"

(viii) "हिमाचल प्रदेश" शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व मदों और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।"

(ix) "जम्मू और कश्मीर" शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व मदों और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।"

(x) "झारखण्ड" शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व मदों और इससे

सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

- "केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।"

- (xi) "कर्नाटक" शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व मदों और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

- "केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।"

- (xii) "केरल" शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व मदों और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

- "केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।"

(xiii) “मध्य प्रदेश” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व मर्दों और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”

(xiv) “महाराष्ट्र” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व मर्दों और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”

(xv) “मणिपुर-त्रिपुरा” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व मर्दों और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”

- (xvi) “नागालैण्ड” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व मर्दों और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”

- (xvii) “उड़ीसा” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व मर्दों और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”

- (xviii) “पंजाब” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व मर्दों और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”

- (xix) “राजस्थान” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व मर्दों और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”

- (xx) “सिक्किम” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व मर्दों और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”

- (xxi) “तमिलनाडु” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व मर्दों और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्त कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”

(xxii) “उत्तराखण्ड” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व मदों और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्त कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”

(xxiii) “उत्तर प्रदेश” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व मदों और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्त कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”

(xxiv) “पश्चिम बंगाल” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व मदों और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

" केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।
छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद (रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

बशर्त कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।"

[सं. 11033/03/2006-अ.भा.से. II (क)]

हरीश सी. राय, डेस्क अधिकारी

टिप्पणी-1 : उपर्युक्त विनियम 2 मई, 2006 से लागू होंगे, जैसा कि ये सक्षम अधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार इस दिन से कार्यान्वित कर दिए गए हैं ।

टिप्पणी-2 : मुख्य विनियम भारत के राजपत्र में दिनांक 22.10.1955 के एस.आर.ओ. संख्या-3350 के अंतर्गत प्रकाशित किए गए थे और बाद में निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं द्वारा संशोधित किए गए थे ।

आंध्र प्रदेश:

| क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक | क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक |
|---------|---------------|------------|---------|---------------|------------|
| 1 | 663 | 29.06.1974 | 6 | 544अ. | 29.07.1977 |
| 2 | 1201 | 16.11.1974 | 7 | 44 | 14.01.1978 |
| 3 | 94 | 25.01.1975 | 8 | 46 | 14.01.1978 |
| 4 | 433 | 05.04.1975 | 9 | 846 | 14.07.1978 |
| 5 | 51अ. | 01.02.1977 | 10 | 1237 | 14.10.1978 |

| | | | | | |
|----|-------|------------|----|-------|------------|
| 11 | 289अ. | 10.05.1979 | 18 | 573अ. | 13.07.1994 |
| 12 | 616 | 24.07.1972 | 19 | 319अ. | 31.03.1995 |
| 13 | 412 | 07.06.1986 | 20 | 304 | 22.07.1997 |
| 14 | 765 | 20.09.1986 | 21 | 171 | 09.05.2000 |
| 15 | 646 | 02.09.1989 | 22 | 786अ. | 24.12.2007 |
| 16 | 647 | 02.10.1990 | 23 | | |
| 17 | 755अ. | 15.12.1993 | | | |

आसाम-मेघालय:

| क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक | क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक |
|---------|---------------|----------|---------|---------------|------------|
| 1. | 50अ. | 26.02.74 | 8. | 450 | 10.10.92 |
| 2. | 278अ. | 03.04.76 | 9. | 319अ. | 31.03.95 |
| 3. | 953अ. | 22.12.76 | 10. | 477 | 18.11.95 |
| 4. | 1538 | 12.11.77 | 11. | 739अ. | 31.12.97 |
| 5. | 511 | 05.06.82 | 12. | 449अ. | 08.07.99 |
| 6. | 676 | 17.09.83 | 13. | 765अ. | 03.11.2008 |
| 7. | 21 | 10.01.87 | | | |

अगमूट:

| क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक | क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक |
|---------|---------------|----------|---------|---------------|------------|
| 1. | 1065 | 5.10.74 | 11. | 1069 | 13.12.86 |
| 2. | 92 | 25.1.75 | 12. | 190 | 26.03.88 |
| 3. | 286अ. | 6.4.76 | 13. | 1224अ. | 28.12.88 |
| 4. | 1323 | 8.10.77 | 14. | 479 | 4.8.90 |
| 5. | 1280 | 28.10.78 | 15. | 309 | 2.7.94 |
| 6. | 1037 | 11.8.79 | 16. | 319अ. | 31.03.95 |
| 7. | 529अ. | 8.9.80 | 17. | 739अ. | 31.12.97 |
| 8. | 229 | 28.2.81 | 18. | 339 | 09.10.04 |
| 9. | 446अ. | 24.5.83 | 19. | 76अ. | 08.02.2008 |
| 10. | 775अ. | 17.11.84 | | | |

बिहार:

| क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक | क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक |
|---------|---------------|------------|---------|---------------|------------|
| 1. | 3059 | 12.12.1956 | 10. | 393 | 30.06.1990 |
| 2. | 481 | 30.04.1960 | 11. | 342अ. | 29.03.1994 |
| 3. | 1147 | 14.08.1965 | 12. | 319अ. | 31.03.1995 |
| 4. | 349 | 16.03.1967 | 13. | 739अ. | 31.12.1997 |
| 5. | 375अ. | 26.08.1971 | 14. | 209 | 31.10.1998 |
| 6. | 60अ. | 31.01.1975 | 15. | 429 | 18.12.2004 |
| 7. | 649अ. | 27.11.1979 | 16. | 170अ. | 02.03.2007 |
| 8. | 106 | 02.02.1985 | 17. | 279अ. | 10.04.2007 |
| 9. | 1007 | 31.12.1988 | 18. | 898अ. | 30.12.2008 |

छत्तीसगढ़:

| क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक | क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक |
|---------|---------------|------------|---------|---------------|------------|
| 1. | 811अ. | 21.10.2000 | 3. | 427 | 18.12.2004 |
| 2. | 812अ. | 21.10.2000 | 4. | 230अ. | 27.03.2008 |

गुजरात:

| क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक | क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक |
|---------|---------------|------------|---------|---------------|------------|
| 1 | 505 | 29.04.1960 | 13 | 639 | 11.07.1981 |
| 2 | 979 | 27.08.1960 | 14 | 37 | 18.01.1986 |
| 3 | 226 | 24.02.1962 | 15 | 190 | 26.03.1988 |
| 4 | 163 | 02.02.1963 | 16 | 419 | 17.06.1989 |
| 5 | 435 | 14.03.1964 | 17 | 271 | 06.06.1992 |
| 6 | 1715 | 27.11.1964 | 18 | 654अ. | 15.10.1993 |
| 7 | 1275 | 04.09.1965 | 19 | 297 | 25.06.1994 |
| 8 | 1231 | 13.08.1966 | 20 | 319अ. | 31.03.1995 |
| 9 | 1116 | 29.07.1967 | 21 | 754अ. | 04.11.1999 |
| 10 | 308 | 08.03.1975 | 22 | 140 | 29.03.2000 |
| 11 | 1251 | 21.10.1978 | 23 | 706अ. | 16.11.2006 |
| 12 | 221अ. | 21.04.1980 | | | |

हरियाणा:

| क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक | क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक |
|---------|---------------|------------|---------|---------------|------------|
| 1 | 1089 | 6.10.1973 | 13 | 310 | 6.5.1989 |
| 2 | 980 | 14.9.1974 | 14 | 45अ. | 1.2.1990 |
| 3 | 471अ. | 29.8.1975 | 15 | 479 | 31.10.1992 |
| 4 | 782अ. | 31.8.1976 | 16 | 98 | 20.2.1993 |
| 5 | 126 | 29.1.1977 | 17 | 280 | 5.6.1993 |
| 6 | 1125 | 16.1978 | 18 | 656अ. | 15.10.1993 |
| 7 | 1277 | 28.10.1978 | 19 | 319अ. | 31.3.1995 |
| 8 | 160 | 3.2.1979 | 20 | 444अ. | 27.9.1996 |
| 9 | 700अ. | 17.12.1980 | | | |
| 10 | 614 | 4.7.1981 | | | |
| 11 | 931 | 10.12.1983 | | | |
| 12 | 190 | 26.3.1988 | | | |

हिमाचल प्रदेश:

| क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक | क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक |
|---------|---------------|------------|---------|---------------|------------|
| 1. | 457अ. | 22.8.75 | 6. | 528 | 06.06.1981 |
| 2. | 788अ. | 07.09.76 | 7. | 944 | 24.10.1981 |
| 3. | 940 | 23.07.1977 | 8. | 27 | 09.01.1982 |
| 4. | 289अ. | 05.06.1980 | 9. | 917अ. | 24.12.1983 |
| 5. | 951 | 20.09.1980 | 10. | 638 | 06.07.1985 |

| | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|-------|------------|
| 11. | 51 | 23.01.1988 | 17. | 234 | 08.06.1996 |
| 12. | 873 | 12.11.1988 | 18. | 739 | 31.12.1997 |
| 13. | 190 | 26.03.1988 | 19. | 206अ. | 15.03.1999 |
| 14. | 732 | 07.10.1989 | 20. | 391अ. | 23.05.2007 |
| 15. | 597अ. | 08.09.1993 | 21. | 438अ. | 18.06.2007 |
| 16. | 319अ. | 31.03.1995 | | | |

जम्मू और कश्मीर:

| क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक | क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक |
|---------|---------------|------------|---------|---------------|------------|
| 1. | 429-अ. | 17.10.1974 | 4. | 333 | 04.07.1994 |
| 2. | 97 | 08.02.1986 | 5. | 739अ. | 31.12.1997 |
| 3. | 505 | 18.08.1990 | 6. | 362अ. | 17.05.2007 |

झारखण्ड:

| क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक | क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक |
|---------|---------------|------------|---------|---------------|------------|
| 1. | 808अ. | 21.10.2000 | 3. | 443 | 03.12.2004 |
| 2. | 809अ. | 21.10.2000 | 4. | 78अ. | 08.02.2008 |

कर्नाटक:

| क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक | क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक |
|---------|---------------|----------|---------|---------------|------------|
| 1. | 377अ. | 26.8.74 | 16. | 841 | 14.11.87 |
| 2. | 1349 | 21.12.74 | 17. | 716 | 1.12.90 |
| 3. | 228 | 22.2.75 | 18. | 646 | 9.11.91 |
| 4. | 292अ. | 23.5.75 | 19. | 193 | 9.5.92 |
| 5. | 7अ. | 1.1.76 | 20. | 587 | 26.12.92 |
| 6. | 25अ. | 17.1.76 | 21. | 94अ. | 11.2.94 |
| 7. | 821अ. | 27.9.76 | 22. | 442 | 3.9.94 |
| 8. | 23अ. | 30.1.80 | 23. | 319अ. | 31.3.95 |
| 9. | 219अ. | 21.4.80 | 24. | 554 | 14.12.96 |
| 10. | 46अ. | 5.2.81 | 25. | 739अ. | 31.12.97 |
| 11. | 925 | 17.10.81 | 26. | 461अ. | 25.6.1999 |
| 12. | 332अ. | 15.4.83 | 27. | 381 | 29.10.2004 |
| 13. | 34 | 21.1.84 | 28. | 415अ. | 05.06.2007 |
| 14. | 1277अ. | 27.12.86 | 29. | 900अ. | 31.12.2008 |
| 15. | 89 | 14.2.87 | | | |

केरल:

| क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक | क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक |
|---------|---------------|----------|---------|---------------|------------|
| 1. | 269 | 16.03.74 | 9. | 884 | 18.10.86 |
| 2. | 344अ. | 25.06.75 | 10. | 506 | 18.08.90 |
| 3. | 505 | 10.04.76 | 11. | 27 | 08.01.94 |
| 4. | 436 | 02.04.77 | 12. | 319अ. | 31.03.95 |
| 5. | 596अ. | 30.10.79 | 13. | 739अ. | 31.12.97 |
| 6. | 487 | 23.05.81 | 14. | 426अ. | 10.06.99 |
| 7. | 630अ. | 29.10.82 | 15. | 471अ. | 05.07.2007 |
| 8. | 509 | 16.03.83 | 16. | 553अ. | 16.08.2008 |

मध्य प्रदेश:

| क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक | क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक |
|---------|---------------|----------|---------|---------------|------------|
| 1. | 777 | 27.7.74 | 10. | 204 | 7.4.90 |
| 2. | 848अ. | 15.10.76 | 11. | 198 | 9.5.92 |
| 3. | 119अ. | 23.2.77 | 12. | 19 | 9.1.93 |
| 4. | 43 | 14.11.78 | 13. | 319अ. | 31.3.95 |
| 5. | 292 अ. | 15.4.81 | 14. | 34 | 27.1.96 |
| 6. | 898 अ. | 20.12.83 | 15. | 739 अ. | 31.12.97 |
| 7. | 684 अ. | 14.12.87 | 16. | 75 | 4.4.98 |
| 8. | 190 | 26.3.88 | 17. | 425 | 18.12.2003 |
| 9. | 491 | 22.7.89 | 18. | 774अ. | 29.12.2006 |

महाराष्ट्र:

| क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक | क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक |
|---------|---------------|------------|---------|---------------|------------|
| 1. | 185अ. | 25.04.1974 | 12. | 190 | 26.03.1988 |
| 2. | 1299 | 07.12.1974 | 13. | 658 | 20.08.1988 |
| 3. | 465अ. | 23.07.1976 | 14. | 1003 | 31.12.1988 |
| 4. | 158 | 09.02.1980 | 15. | 340अ. | 03.03.1989 |
| 5. | 294अ. | 15.04.1981 | 16. | 69 | 22.02.1992 |
| 6. | 788 | 29.08.1981 | 17. | 33 | 16.01.1993 |
| 7. | 320अ. | 08.04.1983 | 18. | 319अ. | 31.03.1995 |
| 8. | 588 | 13.08.1983 | 19. | 283 | 12.07.1997 |
| 9. | 568अ. | 15.07.1985 | 20. | 45 | 12.01.2001 |
| 10. | 919 | 05.10.1985 | | | |
| 11. | 835 | 07.09.1985 | | | |

मणिपुर-त्रिपुरा:

| क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक | क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक |
|---------|---------------|------------|---------|---------------|-------------|
| 1 | 21 | 12.01.1974 | 5 | 867 | 09.07.1977 |
| 2 | 724 | 13.07.1974 | 6 | 665 | 27.05.1978 |
| 3 | 233अ. | 17.03.1976 | 7 | 1325 | 11.11.19788 |
| 4 | 44अ. | 28.01.1977 | 8 | 471 | 31.03.1979 |
| 9 | 769 | 26.07.1980 | 14 | 5 | 09.12.1993 |
| 10 | 702अ. | 17.12.1980 | 15 | 21अ. | 05.01.2000 |

| | | | | | |
|----|------|------------|----|-------|------------|
| 11 | 609 | 17.07.1982 | 16 | 230 | 12.06.2000 |
| 12 | 1242 | 15.12.1984 | 17 | 232अ. | 27.03.2008 |
| 13 | 294 | 16.04.1988 | | | |

नागालैण्ड:

| क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक | क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक |
|---------|---------------|------------|---------|---------------|------------|
| 1. | 329अ. | 11.05.1976 | 7. | 319अ. | 31.03.1995 |
| 2. | 524अ. | 08.09.1980 | 8. | 276 | 05.07.1997 |
| 3. | 957 | 04.12.1982 | 9. | 739अ. | 31.12.1997 |
| 4. | 399 | 21.04.1984 | 10. | 222 | 09.07.2005 |
| 5. | 296 | 16.04.1988 | 11. | 77अ. | 08.02.2008 |
| 6. | 108 | 07.03.1992 | | | |

उड़ीसा:

| क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक | क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक |
|---------|---------------|------------|---------|---------------|------------|
| 1. | 329अ. | 11.05.1976 | 8. | 276 | 05.07.1997 |
| 2. | 524अ. | 08.09.1980 | 9. | 739अ. | 31.12.1997 |
| 3. | 957 | 04.12.1982 | 10. | 477अ. | 29.06.1999 |
| 4. | 399 | 21.04.1984 | 11. | 246 | 22.06.2000 |
| 5. | 296 | 16.04.1988 | 12. | 80अ. | 08.02.2008 |
| 6. | 108 | 07.03.1992 | 13. | 855अ. | 12.12.2008 |
| 7. | 319अ. | 31.03.1995 | | | |

पंजाब:

| क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक | क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक |
|---------|---------------|------------|---------|---------------|------------|
| 1. | 1251 | 29.10.1960 | 15. | 1371 | 17.11.1979 |
| 2. | 1417 | 03.12.1960 | 16. | 202 | 23.02.1980 |
| 3. | 78 | 21.01.1961 | 17. | 808 | 05.09.1981 |
| 4. | 629 | 05.05.1962 | 18. | 203 | 12.03.1983 |
| 5. | 926 | 14.07.1962 | 19. | 249 | 09.03.1985 |
| 6. | 279 | 16.02.1963 | 20. | 901 | 05.12.1987 |
| 7. | 1637 | 21.11.1964 | 21. | 1043अ. | 06.12.1989 |
| 8. | 59 | 08.01.1966 | 22. | 223 | 16.05.1992 |
| 9. | 1364 | 10.09.1966 | 23. | 404 | 12.09.1992 |
| 10. | 261 | 04.03.1967 | 24. | 319अ. | 31.03.1995 |

| | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|-------|------------|
| 11. | 385 | 25.03.1967 | 25. | 739अ. | 31.12.1997 |
| 12. | 227 | 22.02.1975 | | | |
| 13. | 416अ. | 22.06.1976 | | | |
| 14. | 155 | 05.02.1977 | | | |

राजस्थान:

| क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक | क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक |
|---------|---------------|------------|---------|---------------|------------|
| 1. | 890 | 24.8.1974 | 11. | 493 | 7.09.1991 |
| 2. | 978 | 14.09.1974 | 12. | 238 | 23.05.1992 |
| 3. | 1152 | 2.11.1974 | 13. | 319 अ. | 31.03.1995 |
| 4. | 369 | 22.3.1975 | 9. | 763 अ. | 18.12.1982 |
| 5. | 72 अ. | 10.02.1976 | 10. | 768 | 17.10.1987 |
| 6. | 588 अ. | 23.8.1977 | 14. | 286 | 12.7.1997 |
| 7. | 807 | 24.06.1978 | 15. | 739 अ. | 31.12.1997 |
| 8. | 628 अ. | 17.11.1979 | | | |

सिक्किम:

| क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक | क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक |
|---------|---------------|------------|---------|---------------|------------|
| 1. | 404अ. | 16.06.1976 | 7. | 319अ. | 31.03.1995 |
| 2. | 419 | 08.05.1982 | 8. | 739अ. | 31.12.1997 |
| 3. | 123 | 15.02.1986 | 9. | 367अ. | 19.05.1999 |
| 4. | 190 | 26.03.1988 | 10. | 224 | 09.07.2005 |
| 5. | 872 | 12.11.1988 | 11. | 79अ. | 08.02.2008 |
| 6. | 237 | 15.05.1993 | | | |

तमिलनाडु:

| क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक | क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक |
|---------|---------------|------------|---------|---------------|------------|
| 1. | 547 | 08.06.1974 | 16. | 1055 | 13.10.1984 |
| 2. | 1012 | 21.09.1974 | 17. | 709 | 03.08.1986 |
| 3. | 226 | 22.02.1975 | 18. | 52 | 24.01.1987 |
| 4. | 235अ. | 17.03.1976 | 19. | 760अ. | 30.06.1988 |
| 5. | 602 | 01.05.1976 | 20. | 867 | 25.11.1989 |
| 6. | 990 | 10.07.1976 | 21. | 105 | 07.03.1992 |

| | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|-------|------------|
| 7. | 1156 | 07.08.1976 | 22. | 225 | 16.05.1992 |
| 8. | 544 | 29.04.1978 | 23. | 406 | 12.09.1992 |
| 9. | 585 | 06.05.1978 | 24. | 319अ. | 31.03.1995 |
| 10. | 287अ. | 05.06.1980 | 25. | 67अ. | 25.01.1996 |
| 11. | 115 | 08.11.1980 | 26. | 739 | 31.12.1997 |
| 12. | 674अ. | 01.12.1980 | 27. | 192अ. | 20.04.1998 |
| 13. | 488 | 23.05.1981 | 28. | 48 | 27.01.1999 |
| 14. | 421 | 08.05.1982 | 29. | 519अ. | 14.07.2008 |
| 15. | 476 | 19.05.1984 | | | |

उत्तराखण्ड:

| क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक | क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक |
|---------|---------------|------------|---------|---------------|------------|
| 1. | 805(अ.) | 21.10.2000 | 3. | 347 | 04.10.2004 |
| 2. | 806(अ.) | 21.10.2000 | 4. | 231अ. | 27.03.2008 |

उत्तर प्रदेश*

| क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक | क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक |
|---------|---------------|----------|---------|---------------|------------|
| 1. | 426 | 16.10.74 | 6. | 324 | 28.03.81 |
| 2. | 946 | 24.12.76 | 7. | 750 | 15.08.81 |
| 3. | 1279 | 28.10.78 | 8. | 900अ. | 20.12.83 |
| 4. | 471 | 08.08.79 | 9. | 961 | 26.12.87 |
| 5. | 446 | 24.07.80 | 10. | 190 | 26.03.88 |
| 11. | 526 | 28.11.92 | 16. | 805अ. | 21.10.2000 |
| 12. | 125 | 06.03.93 | 17. | 806अ. | 21.10.2000 |
| 13. | 319अ. | 31.03.95 | 18. | 290 | 03.09.2005 |
| 14. | 739अ. | 31.12.97 | 19. | 13अ. | 13.01.2006 |
| 15. | 230अ. | 30.04.98 | | | |

पश्चिम बंगाल:

| क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक | क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक |
|---------|---------------|----------|---------|---------------|----------|
| 1. | 450अ. | 22.09.73 | 12. | 17अ. | 10.01.83 |
| 2. | 373अ. | 26.03.74 | 13. | 50 | 19.01.85 |

| | | | | | |
|-----|-------|----------|-----|-------|------------|
| 3. | 95अ. | 25.01.75 | 14. | 834 | 07.09.85 |
| 4. | 424अ. | 25.06.76 | 15. | 795अ. | 18.09.87 |
| 5. | 654अ. | 28.10.77 | 16. | 744 | 24.09.88 |
| 6. | 951 | 29.07.78 | 17. | 393 | 10.06.89 |
| 7. | 176 | 16.02.80 | 18. | 258 | 29.05.93 |
| 8. | 104अ. | 10.03.80 | 19. | 319अ. | 31.03.95 |
| 9. | 571अ. | 07.10.80 | 20. | 312 | 27.07.96 |
| 10. | 618अ. | 20.10.82 | 21. | 739 | 31.12.97 |
| 11. | 787 | 31.12.98 | 22. | 259 | 07.08.2004 |